

परिपक्वता दावा डिस्चार्ज वाउचर- नॉन लिंक्ड एंडोवमेंट

मैं/ हम _____ पॉलिसीधारक/ असाइनी एतद्द्वारा टाटा एआईए लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'')
से _____ को परिपक्व होने जा रही पॉलिसी नंबर सी _____ के अंतर्गत मेरे /
हमारे सभी दावों और मांगों के निर्वहन में बोनस की राशि सहित ₹ (शब्दों में) _____ की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं. पॉलिसी की परिपक्वता पर पॉलिसी के तहत सभी लाभ
समाप्त हो जाएंगे और पॉलिसी रद्द हो जायेगी.

पैन- _____ (कृपया पॉलिसीधारक /असाइनी के पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति जोड़ें)

ईआईए नं.- _____ आईपिन- _____
टिप्पणी: सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं. इस फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज जमा कराया जाना चाहिए. (ईआईए नंबर और आईपिन दिए जाने के मामले में लागू नहीं)

कथन:

देय लाभ	राशि रु. में
आश्वासित राशि का _____ %	
संचित रिवर्शनरी बोनस, यदि हो	
टर्मिनल बो नस *कृपया अस्वीकृति में बिंदु 8 को चिन्हित करें)	
गारंटीशुदा अभिवृद्धियाँ, यदि हों	
अदा प्रीमियमों का _____ %, यदि हो	
गारंटीशुदा परिपक्वता राशि / गारंटीशुदा लॉयलटी अभिवृद्धि, यदि हो	
गारंटीशुदा शिक्षा राशि, यदि हो	
सांकेतिक परिपक्वता राशि	

ऋण: देयताएँ*	राशि रु में
ऑटोमैटिक प्रीमियम लोन (ब्याज सहित)	
पॉलिसी लोन	
अन्य कटौतियाँ (देयताएँ जैसे कि एक्स-चार्ज इ.)	
टीडीएस कटौती	

देय सांकेतिक शुद्ध राशि= रु.

रेवेन्यू स्टैप
लगाएँ

_____ पॉलिसीधारक/ दावाकर्ता का हस्ताक्षर
(मैं फॉर्म में नीचे वर्णित अस्वीकृति को समझता हूँ और सहमत हूँ)
(यदि पॉलिसी आरंभ के समय बीमित 18 वर्ष से कम था तो बीमित का सत्यापन मूल पॉलिसीधारक द्वारा किया जाना चाहिए)

_____ गवाह का हस्ताक्षर

_____ पॉलिसीधारक / दावाकर्ता का नाम

_____ गवाह का नाम

पता: _____

पता: _____

हस्ताक्षर का दिनांक : _____

रिश्ता: _____

हस्ताक्षर का दिनांक : _____

स्थान: _____

पॉलिसीधारक के निरक्षर होने या अंग्रेजी से इतर भाषा में हस्ताक्षर करने के मामले में घोषणा:

मैं _____ (नाम) जिसका _____ (पहचान प्रकार) _____ (पहचान क्रमांक) है, एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने परिपक्वता दावा वाउचर की सामग्रियों को पॉलिसीधारक को _____ भाषा में समझा दिया है और यह कि पॉलिसीधारक ने उस सामग्री को पूरी तरह से समझने के बाद परिपक्वता दावा वाउचर पर हस्ताक्षर किए हैं/ अपने अंगूठे का निशान लगाया है।

गवाह का हस्ताक्षर _____ कृपया बीमित जीवन/पॉलिसीधारक का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाएँ _____.

टिप्पणी:

१. सारे हस्ताक्षर स्याही में होने चाहिए. नाम उसी प्रकार लिखे होने चाहिए जैसे वे हमारे रेकॉर्ड में हैं.

२. हर हस्ताक्षरी के लिए, हस्ताक्षर के साथ एक गवाह होना चाहिए. गवाह को 21 साल या अधिक का होना चाहिए, जो कि इस पॉलिसी का लाभार्थी नहीं है.

टिप्पणियाँ:

१. इस डिस्चार्ज फॉर्म पर पॉलिसीधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति द्वारा गवाही होनी चाहिए जो इस फॉर्म की भाषा से परिचित हो और पॉलिसीधारक को जानता हो और जिसकी पहचान को आसानी से स्थापित किया जा सकता हो.
 २. यदि दावाकर्ता अंगूठे का निशान लगाता है तो अंगूठे के निशान को नोटरी / राजपत्रित अधिकारी / ग्राम पंचायत प्रधान/ ग्राम पंचायत सदस्य/ स्कूल हेडमास्टर / वॉर्ड काउंसिलर / ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर/ बैंक मैनेजर/ एसईएम या किसी स्थानीय रुतबे वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित होना चाहिए बशर्ते रबर स्टैप लगाने / उसके नाम और पद का उल्लेख करने के बाद सत्यापन किया गया हो.
- जहाँ अंगूठे का निशान लगाया जाता है वहाँ सत्यापन अधिकारी को हस्ताक्षर के नीचे निम्नलिखित घोषणा करनी चाहिए.

श्री/ श्रीमती _____ पुत्र / पुत्री / पति -पत्नी

श्री _____ ने उसकी सामग्रियों को समझने के बाद मेरी उपस्थिति में अपने अंगूठे के निशान लगाए हैं.

अधिकारी का हस्ताक्षर उसके कार्यालय की मुहर के साथ

नाम:

पद:

दिनांक:

*अस्वीकृतियाँ:-

१. सांकेतिक परिपक्वता राशि इस मान्यता के आधार पर निकाली जाती है कि पॉलिसी परिपक्वता दिनांक पर कार्यरत है और सभी नियत प्रीमियम अदा किए जा चुके हैं.
 २. यदि परिपक्वता दावा भुगतान करते समय कोई प्रीमियम बकाया रहता है तो उसे पॉलिसी के तहत देय के रूप में यहाँ दिखाई गई राशि से वसूल किया जाएगा. इसके अलावा एपीएल ब्याज, पॉलिसी लोन, कर और लागू कोई अन्य बकाया प्रभार परिपक्वता पर देय राशि से वसूल किया जाएगा.
 ३. ऊपर वर्णित देय शुद्ध राशि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई अतिरिक्त राशि शामिल नहीं करती और जिसे परिपक्वता देय राशि के साथ पॉलिसीधारक को लौटा दिया जाएगा.
 ४. यदि टर्मिनल बोनस या रिवर्नरी बोनस जहाँ पॉलिसी इसके लिए पात्र है, पॉलिसीधारक को यह वाउचर भेजने के बाद कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है तो देय शुद्ध राशि बदल सकती है.
 ५. लोन पर ब्याज की गणना यह मानकर की जाती है कि लोन या उसका कोई हिस्सा और/या उस पर ब्याज पॉलिसी के परिपक्वता दिनांक के अनुसार बकाया है.
 ६. यदि पॉलिसी परिपक्वता दिनांक कार्य रहित दिन या अवकाश पर आता है तो एनईएफटी भुगतान को अगले कार्य दिवस पर जमा कर दिया जाएगा.
 ७. पता बदलने के मामले में कृपया पता प्रमाण के साथ रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर्म प्रदान करें.
 ८. "सेवा कर और टीडीएस" सरकारी कानूनों के अनुसार लागू हैं और इसे पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास सरकार द्वारा समय समय पर लगाया गया कोई अधिभार और ड्यूटी (सेवाकर और टीडीएस सहित) पॉलिसीधारक से लेने का अधिकार सुरक्षित है.
- *वित्त विधेयक २०१४ के प्रावधानों के अनुसार १ अक्टूबर २०१४ से प्रभावी तौर पर उन पॉलिसीधारकों को किए गए पात्र भुगतानों पर २% की दर से कर (स्रोत पर कर कटौती) काटने की आवश्यकता होती है जिन्होंने अपने पैन कार्ड की प्रति जमा की है या वह नहीं जमा करने के मामले में २०% की दर पर काटा जाता है.
- पैन: एएबीसीटी३७८४सी सेवा कर पंजीयन क्रमांक: एएबीसीटी३७८४सीएसटी००१
- सेवा की श्रेणी: लाइफ इंश्योरेंस सेवा और/या यूलिप सेवाओं के तहत निवेश का प्रबंधन

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आईआरडीए पंजी. क्र. 110) (CIN - U66010MH2000PLC128403)

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : 14 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013.

अधिक जानकारी के लिए अपने सलाहकार से संपर्क करें या हमारी हेल्पलाइन नं.: 1-800-267-9966 (टोल फ्री) या 1-860-266-9966 पर कॉल करें (लोकल शुल्क लागू) या एसएमएस करें "Service" 58888 पर या हमें customer@tataaia.com पर ई मेल करें.